राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/एचपी-40/2001/ 1583 दिनांक : 12.06.2001

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

नेशनल एजूकेशन एण्ड कल्चरल ट्रस्ट (रजि.), पुष्प कुंज, श्याम नगर, दड़ूही, जिला- हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने सरस्वती एजूकेशन बीएड ट्रेनिंग कॉलेज, जे.पी.एस. कॉम्पलेक्स, लोहारिन, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2001-2002 से प्रारंभ करने की मान्यता हेतु आवेदन प्रेषित किया था जो समिति कार्यालय मे दिनांक 29.12.2000 को प्राप्त हुआ।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने संस्था को सत्र 2001-2002 के लिए अपने पत्र दिनांक 19.05.2000 के द्वारा 60 सीटों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया था। संस्था के प्रस्तावित बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता पर विचार हेतु संस्था का दिनांक 28.2.2001 से 1.3.2001 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 10-11 मई, 2001 को सम्पन्न हुई 34 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे। उत्तर क्षेत्रीय समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर पाया कि संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बीएड पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंडानुसार निम्नांकित कमियाँ है तथा समिति ने निर्णय लिया कि संस्था को इन कमियों के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत दिनांक 20.6.2001 तक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर दिया जाए।

1. संस्था में परिषद् मानदंडानुसार योग्यताधारी प्राचार्य नहीं है।
2. संस्था में परिषद् मानदंडानुसार नेट/स्लेट योग्यताधारी कोई व्याख्याता नहीं है। अतः योग्यताधारी 6 व्याख्याताओं की कमी है।
3. एमपीएड योग्यताधारी एक व्याख्याता की कमी है।
4. तकनीकी सहायक स्टॉफ में पुस्तकालय अध्यक्ष-1, तकनीकी सहायक-1, प्रोफेशनल सहायक-1 की कमी है।
5. चयन समिति के माध्यम से चयनित स्टॉफ की कमी है।
6. यूजीसी/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के वेतनमान देने की कमी है।
7. भूमि किराए की है। संस्था के पास भूमि के वैधानिक दस्तावेज नहीं हैं।
8. भवन किराया का है। इसके Renovation की आवश्यकता है। भवन में कमरे मानदंडों से छोटे हैं अतः परिषद् मानदंडानुसार भवन की कमी है।
9. फर्नीचर परिषद् मानदंडानुसार नहीं है।
10. शैक्षिक तकनीकी लेब, विज्ञान लेब एवं मनोविज्ञान लेब के उपकरण परिषद् मानदंडानुसार होने की कमी है।
11. अक्षय निधि में 5.00 लाख रुपये तथा सुरक्षित निधि में 3.00 लाख रुपये की कमी है।
12. पुस्तकालय में 2500 पुस्तकें तथा 5 शैक्षिक जरनल की कमी है।
13. स्वतंत्र भवन होने की कमी है।
14. हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है।

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004
क्षेत्राधिकार : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
Jurisdiction : U.P. Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P. Rajasthan
E-Mail : ncte@raj.nic.in Website : http://www.ncte-in.org